

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धिपत्र

सं०सं०-9/आ०-01-20/2023(स्वा०)/ पटना, दिनांक:-.....

विभागीय आदेश सं०-38(9) दिनांक-14.01.2025 के द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ० सरवर को अपने पूर्व पदस्थापित स्थान पर योगदान करने का निदेश संसूचित की गयी है।

2. उक्त आदेश में अंकित डॉ० फैजान सरवर, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, गोपालगंज के स्थान पर डॉ० मो० फैजान सरवर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ, गोपालगंज पढ़ा एवं समझा जाय

3. उक्त आदेश में अंकित शेष शर्त यथावत रहेगी।

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/आ०-01-20/2023(स्वा०) 62(9)/ पटना, दिनांक:-15.01.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमण्डल, छपरा/सिविल सर्जन, गोपालगंज को निदेशित किया जाता है कि डॉ० मो० फैजान सरवर के कर्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-डॉ० मो० फैजान सरवर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-आईटी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
15/01/2025
सरकार के अवर सचिव।